

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग  
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं-ल०सि०मो०-PMKSY-317/2019-  
प्रेषक,

1283(मो०) /पटना, दिनांक-24/6/2020

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल, .....।

विषय:-PMKSY Guideline के अनुसार DPR तैयार करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय के पत्रांक-1031 (मो०), दिनांक-27.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा PMKSY Guideline के अनुसार DPR तैयार कराकर एक माह के अन्दर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। अभी तक योजनाओं का DPR उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पुनः निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर PMKSY Guideline के अनुसार DPR तैयार कराकर एवं उसपर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय ताकि TAC की बैठक कर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा सके। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु०-प्रासंगिक पत्र की  
छाया-प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापक- 1283(मो०)

/पटना, दिनांक-24/6/2020

प्रतिलिपि-सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-प्रासंगिक पत्र की  
छाया-प्रति संलग्न।

अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

24/6/20